

148/2022  
को रामनिवास  
अधिवक्ता

148/2022 उनवान कुलदीप सिंह बनाम गोविन्द कंवर वगै.  
दिनांक 13.08.2024

1

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक राज0

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गा प्रसाद भीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल संख्या :- 148/2022

निर्णय दिनांक :- 13.08.2024

उनवानी दावा:

1. कुलदीप सिंह पुत्र जयसिंह जाति राजपूत निवासी देवड़ावास निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. कैलाश कंवर पत्नी जयसिंह जाति राजपूत निवासी देवड़ावास निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0
3. पिकूकंवर पुत्र जयसिंह जाति राजपूत निवासी देवड़ावास निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0

—वादीगण—

बनाम

1. गोविन्द कंवर पत्नी रणजीत सिंह जाति राजपूत निवासी देवड़ावास निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. रिकू कंवर पुत्री रणजीत सिंह जाति राजपूत निवासी देवड़ावास निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0
3. विष्णुकंवर पुत्री रणजीत सिंह जाति राजपूत निवासी देवड़ावास निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0
4. तहसीलदार दूनी जिला टोंक राज0

—प्रतिवादीगण—

उपस्थिति :-

श्री रामनिवास तुनगारिया

श्री सन्दीप कांटिया

अधिवक्ता वादीगण

श्री सुनिल कुमार शर्मा

अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 3

### दावा बंटवारा आराजीयात एवं स्थाई निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुई। निर्णय/आदेश इस प्रकार है कि प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री आदेश दिनांक 17.07.2023 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली में बाद बहस पारित किया गया था। पारित आदेश की पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट क्रमांक भू. अ./2024/2952 दिनांक 28.06.2024 से तहसीलदार दूनी से प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। कुर्रेजात रिपोर्ट को अधिवक्ता उभयपक्ष से अवलोकन करवाया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष ने अन्तिम बहस में कथन किया कि कुर्रेजात रिपोर्ट को मय नक्शा ट्रेस सही बताया है, मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट प्रकरण में अंतिम निर्णय डिक्री पारित करने की प्रार्थना की।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। कुर्रेजात रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार दूनी द्वारा प्रेषित कुर्रेजात रिपोर्ट क्रमांक भू. अ./2024/2952 दिनांक 28.06.2024 का अवलोकन किया। तहसीलदार दूनी द्वारा विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम-1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार तैयार किये गये हैं।






अतः जमाबंदी सम्वत 2071-74 भूमि खाता सं. 124 ख. नं. 231 रकबा 1.95 ख. नं. 232 रकबा 1.14 है0, ख. नं. 233 रकबा 0.36 है0, ख. नं. 234 रकबा 0.04 है0, ख. नं. 235 रकबा 1.01 है0, खसरा नं. 236 रकबा 1.18 है0, ख. नं. 237 रकबा 1.94 है0. कुल किला 7 कुल रकबा 7.62 है0 वाके ग्राम देवडावास प. ह. देवडावास तहसील दूनी. जिला टोंक जिला-टोंक राज0 के विभाजन हेतु तहसीलदार दूनी द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा अंतिम डिक्री पर्चा जारी किया जावे।  
अतः तहसीलदार दूनी की कुर्रैजात रिपोर्ट अनुसार पक्षकारान का हिस्सा निम्नानुसार रहेगा :-

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख. नं.	रकबा हैक्टेयर में	लगान
1.	1. कुलदीप सिंह पुत्र जयसिंह हि. 1/3 जाति राजपूत सा. देह खातेदार	231	1.95	46.41
		232	1.14	9.12
		233	0.08	0.04
	2. कैलाश कंवर पत्नी जयसिंह हि. 1/3 जाति राजपूत सा. देह खातेदार राहिन हि. पूर्ण बी.आर.के. जी.बी शाखा देवडावास	235	0.06	1.51
		236	0.12	2.8505
	3. पिकू कंवर पुत्र जयसिंह हि. 1/3 जाति राजपूत सा. देह खातेदार नक्शा ट्रेस में नीले बॉल पेन के रंग से दर्शित	237	0.44	1.0569
	योग	किता-6	3.79	60.9874
2.	1. गोविन्द कंवर पत्नी रणजीत सिंह हि. 1/3 जाति राजपूत सा. देह खातेदार राहिन हि. पूर्ण बी.आर.के. जी.बी शाखा देवडावास	233	0.28	0.14
		235	0.95	23.9099
		236	1.06	25.1794
	2. पिकू कंवर पुत्री रणजीत सिंह हि. 1/3 जाति राजपूत सा. देह खातेदार	237	1.50	3.6030
	3. विष्णु कंवर पुत्री रणजीत सिंह हि. 1/3 जाति राजपूत सा. देह खातेदार नक्शा ट्रेस में लाल बॉल पेन के रंग से दर्शित			
योग	किता-4	3.79	52.8323	
3	सामलाती खाता	234	0.04	-

उक्त सूची अनुसार पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1' ता 3 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे स्वयं, व अन्य के माध्यम वादीगण के हिस्से की भूमि की से जबरन बेदखल नहीं करे तथा राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति वाद की पालना तक बनाये रखे। तहसीलदार दूनी द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस निर्णय के साथ संलग्न रहेगी। तदनुसार अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 13.08.2024 को सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
देवल

अंतिम डिक्री

डिक्री मुकदमा इब्दादाई

(ओ 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी.....

मुकाम देवली व अलजाम श्री दुर्गा प्रसाद मीना उपखण्ड अधिकारी देवली आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी देवली टोंक.....

उनवानी दावा:

1. कुलदीप सिंह पुत्र जयसिंह जाति राजपूत निवासी देवड़ावास निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. कैलाश कंवर पत्नी जयसिंह जाति राजपूत निवासी देवड़ावास निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0
3. पिकूकंवर पुत्र जयसिंह जाति राजपूत निवासी देवड़ावास निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0

—वादीगण—

बनाम

1. गोविन्द कंवर पत्नी रणजीत सिंह जाति राजपूत निवासी देवड़ावास निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. रिकू कंवर पुत्री रणजीत सिंह जाति राजपूत निवासी देवड़ावास निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0
3. विष्णुकंवर पुत्री रणजीत सिंह जाति राजपूत निवासी देवड़ावास निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0
4. तहसीलदार दूनी जिला टोंक राज0

—प्रतिवादीगण—


### दावा बंटवारा आराजीयात एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 148 सन् 2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू. मुझ श्री दुर्गा प्रसाद मीणा आर.ए. एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री रामनिवास तुनगारिया व श्री सन्दीप कांटिया अधिवक्ता वादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू श्री सुनिल कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व प्राथमिक डिक्री दी जाती है कि

आदेश

जमाबंदी सम्वत 2071-74 भूमि खाता सं. 124 ख. नं. 231 रकबा 1.95 है0, ख. नं. 232 रकबा 1.14 है0, ख. नं. 233 रकबा 0.36 है0, ख. नं. 234 रकबा 0.04 है0, ख. नं. 235 रकबा 1.01 है0, खसरा नं. 236 रकबा 1.18 है0, ख. नं. 237 रकबा 1.94 है0. कुल किला 7 कुल रकबा 7.62 है0 वाके ग्राम देवड़ावास प. ह. देवड़ावास तहसील दूनी. जिला टोंक जिला-टोंक राज0 के विभाजन हेतु तहसीलदार दूनी द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा अंतिम डिक्री पर्चा जारी किया जाता है।



अतः तहसीलदार दूनी की कुर्रजात रिपोर्ट अनुसार पक्षकारान का हिस्सा  
निम्नानुसार रहेगा :-

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख. नं.	रकबा हेक्टेयर में	लगान
1.	1. कुलदीप सिंह पुत्र जयसिंह हि. 1/3 जाति राजपूत सा. देह खातेदार	231	1.95	46.41
		232	1.14	9.12
		233	0.08	0.04
	2. कैलाश कंवर पत्नी जयसिंह हि. 1/3 जाति राजपूत सा. देह खातेदार राहिन हि. पूर्ण बी.आर.के. जी.बी शाखा देवड़ावास	235	0.06	1.51
		236	0.12	2.8505
	237	0.44	1.0569	
	3. पिकू कंवर पुत्र जयसिंह हि. 1/3 जाति राजपूत सा. देह खातेदार नक्शा ट्रेस में नीले बॉल पेन के रंग से दर्शित			
योग	किता-6	3.79	60.9874	
2.	1. गोविन्द कंवर पत्नी रणजीत सिंह हि. 1/3 जाति राजपूत सा. देह खातेदार राहिन हि. पूर्ण बी.आर. के.जी.बी शाखा देवड़ावास	233	0.28	0.14
		235	0.95	23.9099
		236	1.06	25.1794
	237	1.50	3.6030	
	3. विष्णु कंवर पुत्री रणजीत सिंह हि. 1/3 जाति राजपूत सा. देह खातेदार नक्शा ट्रेस में लाल बॉल पेन के रंग से दर्शित			
योग	किता-4	3.79	52.8323	
3	सामलाती खाता नक्शा ट्रेस में काले रंग से दर्शित	234	0.04	-

उक्त सूची अनुसार पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे स्वयं, व अन्य के माध्यम वादीगण के हिस्से की भूमि की से जबरन बेदखल नहीं करे तथा राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति वाद की पालना तक बनाये रखे। तहसीलदार दूनी द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस निर्णय के साथ संलग्न रहेगी।

निजी.....मुवलिक.....बाबत .....

.....खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह ..... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक ..... की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 13 माह 08 सन् 2024 को जारी किया गया।

दस्तख्त .....

मुहर

ओहदा .....

मुददई	रु.	पै.	मुददायलह	रु.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		

// 2022 उनवान कुलदीप सिंह बनाम गोविन्द कंवर वगै.  
13.08.2024

5

स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजरायहुकमनामा		
बाबत इजरायहुकमनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :- इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

